न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2019 (राजस्व अपील)

GCMS NO : 2019/00040

अनवान

1. श्री रूपलाल पिता गमाना कुम्हार, निवसी ग्राम मजावडी तह.गोगुन्दा जिला उदयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकर पिता डालू कुम्हार निवासी ग्राम मजावडी तह.गोगुन्दा जिला उदयपुर।
2. श्रीमती मोवनी पत्नी श्री शंकर कुम्हार निवासी ग्राम मजावडी तह. गोगुन्दा जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री पुरूषोत्तम पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री नरेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता विपक्षी ।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त कराये जाने आंवटन आदेश दि.04.01.2008 अन्तर्गत प्र.सं. 112/08

* निर्णय *

दिनांक –29.08.2024

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा मजावडी में साबिक खसरा संख्या 564 बिलानाम में प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत मजावडी द्वारा एवं प्रार्थी के भाई लोगरलाल पिता गमाना कुम्हार, निवासी मजावडी को इसी साबिक आराजी भूमि में आवासीय निर्माण हेतु पट्टा दिनांक 22.11.1975 को प्रदान किये गये। उसी समय प्रार्थी व प्रार्थी के भाई ने आवासीय मकान उक्त आराजी भूमि में निर्माण करके उसमें निवास करने लगे, तब से प्रार्थी उक्त मकान में निवास कर रहा है व कुछ भाग में प्रार्थी के मवेशी बांधने के लिए बाडा निर्माण किया गया है जो मौके पर सन् 1975 से प्रार्थी उक्त मकान में निवास कर रहे हैं। उसी के समानान्तर भाग में मगनलाल पिता गमाना जी एवं डालू पिता गमाना जी के भी मकान बने हुए है जो सभी के अपने–अपने हिस्से में आये हुए होकर कब्जे में चले आ रह है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

व उसमें निवास करते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने तत्कालीन पटवारी से दिनांक 04.01.2008 को धोखाधडी करते हुए जो भूमि खुली नहीं होकर प्रार्थी एवं अन्य व्यक्ति के कब्जे में होकर आवासीय मकान बने होते हुए विपक्षीगण ने धोखाधडीपूर्वक आवंटन कमेटी को अंधेरे में रखते हुए जल चेतना शिविर एवं राजस्व अभियान 2008 के प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा को मुगालते में रखते हुए धोखाधडी पूर्वक एक आवेदन पत्र राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत नियम कृषि भूमि अस्थाई आवंटन 1980 के अन्तर्गत विपक्षीगण ने एक आवंटन पत्र प्रस्तुत किया जिसके आराजी संख्या 1340 रकबा 0.1000 किस्म बीड बताकर अभियान में आवेदन पत्र धोखाधडीपूर्वक प्रस्तुत किया। जबकि मौके पर आवासीय मकान होकर प्रार्थी उसमें निवास करता रहा है। उक्त शिविर जल चेतना एवं राजस्व अभियान 2008 का भाग था, जिसमें किसी भी तरह के कृषि भूमि के आवंटन का प्रावधान नहीं था, फिर भी हल्का पटवारी ने गलत टिप्पणी करते हुए जो भूमि पूर्व से आवासीय होकर उस पर निर्माण दिनांक 22.11.1975 से मकान निर्माण किये हुए थे व वर्तमान मे उक्त भूमि के खसरा संख्या 1340 रकबा 0.1000 ऐयर भूमि जिसमें धोखाधडीपूर्वक आवंटन कमेटी को अंधेरे में रखते हुए उक्त आवंटन विपक्षीगण ने अपने नाम पर करवाया एवं उक्त आवेदन पत्र के अन्दर आदेश एडवाईजरी कमेटी में उक्त दिनांक को जो उपस्थित कमेटी सदस्य थे उसमें सरपंच के कोई हस्ताक्षर नहीं है, इसी कारण पूर्व सरपंच द्वारा 1975 में साबिक आराजी सख्या 564 बिलानाम के हाल आराजी 1340 रकबा 0.1000 भूमि जो कि आवासीय होकर उसमें प्रार्थी व उसके भाई लोगरलाल व अन्य दो भाई मगन व डालू के मकानात बने हुए है फिर भी अवैधानिक तरीके से धोखाधडी से उक्त आवंटन करवा दिया जो निरस्त किये जाने याग्य है। उक्त आवन्टन में आराजी संख्या 1340 दिनांक 04.01.2008 को खुली नहीं होकर उसमें आवासीय मकानात बने होकर उद्घोषणा में होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, न ही विवादरहित थी, फिर भी विपक्षीगण ने कमेटी व अधिकारियों को अंधेरे में रखते हुए फर्जी रूप से यह आवंटन करवा दिया जो तत्काल प्रभाव से निरस्त कराये जाने योग्य है। उक्त आवंटन के पश्चात कभी भी विपक्षीगण का कब्जा नहीं हुआ, व न ही उक्त भूमि पर विपक्षीगण ने कृषि कार्य कभी भी किया, क्योंकि उक्त आराजी सख्या 1340 रकबा 0.1000 सम्पूर्ण भूमि आवासीय होकर सन् 1975 से मकान बने हुए है, फिर भी उक्त फर्जी व अवैध धोखाधडीपूर्वक किये गये आवंटन को तत्काल निरस्त फरमाया जावे। आराजी सख्या 1340 पर प्रार्थी का सन् 1975 से मकान बना होकर प्रार्थी ने उसमें अपनी खून पसीने की कमाई के लाखों रूपये लगाकर मकान को आबाद किया है विपक्षीगण जानते हुए हडपने की बदनियति से उक्त आवंटन राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी रूप से कराया है। मकान की जमीन किसी भी प्रकार से आवंटन किये जाने योग्य नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

थी। आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की। विपक्षीगण की आराजी भूमि का नाजायज रूप एवं गैर कानूनी रूप से यह आवंटन किया गया है व एबइनिशियोवोईड होने से आवंटन निरस्त होने योग्य है इस प्रकार के आवंटन के सम्बन्ध में कोई मयाद तय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि फाईल नम्बर 112/2008 दिनांक 04.01.2008 मौजा मजावडी आराजी संख्या 1340 रकबा 0.1000 है. भूमि कि धोखाधडीपूर्वक अवैध तरीके से आवंटन कमेटी को अंधेरे में रखते हुए कोरम के अभाव में नियमों के विपरित किया गया है जिसे अविलम्ब निरस्त फरमाया जावे व उसे पुनः बिलानाम घोषित कर प्रार्थी का सन् 1975 के कब्जा होकर आवासीय मकान बनाया हुआ होने से प्रार्थी के नाम पर कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चौधरी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिलानाम भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का पट्टा दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी के द्वारा कोई पट्टा ग्राम पंचायत से मिलकर बनाया है तो वह फर्जी होकर अवैध दस्तोवज है जिससे प्रार्थी को कोई हित एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त भूमि विपक्षीगण को विधिवत आवंटित होकर विपक्षीगण के कब्जे में चली आ रही है। उक्त भूमि में विपक्षीगण. द्वारा घास आदि रखने के लिए बाडा भी बना रखा है। विपक्षीगण को विधिवत राजस्व अभियान के तहत विधि अनुसार उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण को किया गया है। उक्त भूमि बिलानाम थी तथा मंगरीली जमीन थी। उसे विधिवत विपक्षीगण को आवंटित किया गया है तथा आवंटन के पश्चात उस भूमि में भारी लागत लगाकर विपक्षीगण द्वारा कृषि योग्य बनाया गया है तथा विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि में बारिश के मौसम में मक्की की फसल बोई जाती है। भूमि विधिवत राजस्व अभियान में पूर्ण एडवाईजरी कमेटी के द्वारा विधिवत विपक्षीगण को आवंटित हुई है तथा उक्त भूमि बिलानाम भूमि थी जिसको विधिवत आंवटन विपक्षीगण को किया गया है। उक्त भूमि आंवटन के पश्चात दिनांक 21.06.2013 को विपक्षीगण को उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। तथा उक्त भूमि किस्म बीड होकर कृषि भूमि है। उक्त भूमि कभी भी आवासीय नहीं रही है प्रार्थी द्वारा कोई फर्जी दस्तावेज बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जावे। विधिवत आवंटन की गई है उक्त भूमि शुरू से ही कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि आंवटन के समय बीड जमीन थी जिसका विधिवत आवंटन विपक्षीगण को किया गया है। प्रार्थी द्वारा झुठे एवं मिथ्या तथ्य अंकित कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जाए। उक्त भूमि पर आधिपत्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

विपक्षी का ही है एवं खेती भी की जा रही है। उक्त भूमि का प्रार्थी से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा कोई फर्जी पट्टा आदि बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जावे। उक्त भूमि प्रारम्भ से ही कृषि भूमि थी जिसे विधिवत आवंटन विपक्षीगण को किया गया है तथा आवंटन के पश्चात उक्त भूमि में दिनांक 21.06.2013 को विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये है तथा उक्त भूमि विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि कभी भी आवासीय नहीं रही फिर भी प्रार्थी द्वारा झुठे एवं मिथ्या तथ्य अंकित कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जावे। उक्त भूमि पर एकमात्र आधिपत्य विपक्षीगण का है उक्त भूमि में प्रार्थी एवं उसके भाईयों के कोई मकान बने हुए नहीं है प्रार्थी ने झुठे तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज किया जावे। प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा में सन् 2013 में ही विपक्षीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है, उक्त वाद में आवंटन की जानकारी होना अंकित कर रखा है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र मयाद से बाहर होने से प्रार्थना पत्र मयाद के बिन्दू पर ही प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जावे। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जाए तथा विशेष हर्जा खर्चा प्रार्थी से विपक्षीगण को प्रदान कराया जावे।

प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 112/2008 तलब की गई। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि चार जनो को आबादी के पट्टे दिये गये है। 04.01.2008 को गलत तथ्य बताकर आवंटन करा ली गई है। जमीन की तीन बार पेमाईश हुई है। मौके पर हमारे मकान बने हुए है। आवंटन कृषि योग्य भूमि का ही होता है। उक्त जमीन धारा 88 के तहत पंचायत के अधिकार में है। धारा 5 के तहत आबादी के आस पास भी आवंटन नहीं कर सकते है। अतः गलत आवटन कराने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में निम्न नजीर पेश कि–

- Rajasthan Panchayat Act 1953 sec.88
- राजस्थान भू.राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 पेज संख्या 129
- RRT 2015(2) page 790

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

- RRD 1989 page 45
- RRT 2014(2) page 1127
- RRT 2014(1) page 597

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि बिलानाम एवं आबादी भूमि दोनो शामिल है किस्म अलग–अलग लिखी है। बाद मे अलग नम्बर पडे है। 2008 की जमाबन्दी में बिलानाम भूमि होने से उसी आधार पर पति पत्नी को आंवटन हुई है। 21.06.2013 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। मेरा कब्जा होने से ही गैर खातेदारी के रूप मे खाते दर्ज हुई है। यदि आबादी होती तो अब तक आबादी ही दर्ज रहती। रिपोर्ट में जमीन के पास सरकारी स्कूल है जो कि कृषि भूमि पर ही हो सकता है। बिलानाम भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा देने का अधिकार नहीं है। उक्त भूमि आबादी होकर ग्राम पंचायत के नाम दर्ज हो ऐसा कोई रेकार्ड नहीं है। भूमि का आंवटन कमेटी के द्वारा किया गया है। जो विधिवत होकर बाद में खातेदारी भी दी जा चुकी है। आपने भी जमीन के लिऐ ही खातेदारी हेतु दावा किया हुआ है। अतः आंवटन विधिवत होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने समर्थन में निम्न नजीर पेश कि–

- RRT 2016(2) page 757
- RRT 2016(2) page 769
- RRT 2016-17 Supp. page 271
- RRT 2016-17 Supp. page 305
- RRT 2018(2) page 1007
- RRT 2019(2) page 939
- RRT 2021(2) page 1100
- RRT 2023(2) page 1218

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 व 2 के जवाब, आवंटन पत्रावली , लिखित बहस का अवलोकन किया, वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा गलत जानकारी देकर धोखाधडीपूर्वक भूमि को आवंटन करा लिया है जबकि मौके पर प्रार्थी के मकान बने होकर पंचायत से पट्टे प्राप्त है, इसलिए आंवटन निरस्त कराने की प्रार्थना की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से मौजा मजावडी की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

आ.संख्या 1340 रकबा 0.1000 है. भूमि का विपक्षी शंकर लाल एवं मोवनी को दिनांक 04.01.2008 को आवंटन किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1340 में से कच्चा रास्ता स्कूल तक आना जाना बताया है। रास्ते से पश्चिम में 2 बाडे व पूर्व में 1 बाडा बताया हैं जिसमें बाडा संख्या 1 शंकर पिता डालू का व बाडा सख्या 2 लोगर पिता गमाना एव रूपलाल का एवं बाडा संख्या 3 डालू, मगनलाल, रूपालाल के शामलात को होना बताया। मौके पर 1340 में किसी भी प्रकार की काश्त नहीं होना बताया। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस के साथ मिलान खसरा नकल पेश की जिसमें वर्तमान आराजी सख्या 1340 की साबिक आराजी संख्या 564 मी. होना स्पष्ट है, प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो की प्रतियां भी पेश की जिसमें भी पट्टो के पीछे आराजी संख्या 564मी. अंकित है। आराजी सख्या 564 मी. संवत् 2007 की जमाबन्दी में बिलानाम गैर का.काश्त एवं आबादी के रूप में अंकित है। चूंकि सेटलमेन्ट के पश्चात उक्त भूमि बिलानाम होकर वर्तमान में भी बिलानाम दर्ज होना ही बताया है। विपक्षी द्वारा ग्राम पचांयत मजावडी का पत्र क्रमांक 24 दिनांक 16. 09.2014 का पेश किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा थानाधिकारी गोगुन्दा को पत्र जारी कर आराजी संख्या 1340 में पत्रावली संख्या 33/1979 के निर्णयानसुार पट्टा जारी नही होना स्पष्ट किया है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर न ही पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी किया है एवं नहीं कोई पट्टा वर्तमान में अस्तित्व में है। चूंकि तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट बनाई गई है उसमें स्कूल तक जाने का रास्ता भी है एवं मौके पर 3 बाडे भी बने होकर अलग–व्यक्तियों के कब्जे बताये गये है जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षी शामिल है। ऐसी स्थति में प्रथम दृष्टया यह तो साबित होता है कि उक्त भूमि में बाडो के रूप में खातेदार के अलावा अन्य व्यक्तियों का भी कब्जा चला आ रहा है एवं स्कूल तक जाने का रास्ता भी बना हुआ है। आवंटन नियम अनुसार **राजस्थान भू.राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 4 इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए अनुपलब्ध भूमि (4) – किसी ग्राम की आबादी के समीप अथवा साथ लगी हुई, छोटे बाडों या खलियानों के लिए आरक्षित भूमियां।** इससे स्पष्ट है कि आवंटन योग्य भूमि मौके पर आवंटन हेतु अनुपलब्ध थी। क्योंकि उक्त भूमि पर बाडे बने हुए है। तहसीलदार द्वारा भी मौके पर किसी प्रकार की काश्त होने से इनकार किया है। रिपोर्ट में बाडे बने होकर मवेशी बंधना बताया है इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि काश्त लायक कभी रही ही नहीं होगी। जब भूमि पर काश्त नहीं हो सकती तो कमेटी से कृषि हेतु भूमि का आवंटन कराना यह संदेहास्पद प्रतीत होता है। विवादित आराजी जो कि आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी में ही नहीं आती है इसलिऐ किया गया आवंटन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य था। न्याय का यह मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि यदि आंवटन आदेश विधि विरूद्ध हो तो आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

जाने के उपरान्त अविधिक आवंटन आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि अकृषि योग्य भूमि होकर मौके पर बाडे बने हुए है एवं भूमि में से स्कूल तक जाने का कच्चा रास्ता भी बना हुआ है जो आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है, अतः ऐसी भूमि में किया गया आवंटन निरस्त योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार किया जाकर मौजा मजावडी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर की आराजी स. 1340 रकबा 0.1000 है. भूमि का उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा दिनांक 04.01.2008 को किया गया आवटंन निरस्त किया जाता है एवं कथित भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार गोगुन्दा को निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)